

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/9564

लखनऊ/दिनांक :28/03/2022

विषय:-किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)-2003 के प्राविधानों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक कृपया अपर मुख्य सचिव, गृह-अनुभाग(पुलिस)15, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 95/छ:-पु0-15/2022, दिनांक 02 मार्च, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से निर्देशित किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकृत चिकित्सक के आदेश के बिना सार्वजनिक स्थान पर बच्चे को नशीली शराब/मादक औषधि या तम्बाकू उत्पाद देता या दिलवाता है तथा किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे से शराब/ड्रग्स/तम्बाकू की सप्लाई करवाना अथवा नशीला शराब या नशीले पदार्थ/मादक औषधि के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, साथ रखने, आपूर्ति करने अथवा दुर्व्यापार में बच्चे का उपयोग करने की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध किशोर न्याय(बालको की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-77 एवं 78 के अन्तर्गत प्रभावी विधिक कार्यवाही तथा साथ ही सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पाद, प्रदाय और वितरण व विनियमन) अधिनियम (सी0ओ0टी0पी0ए0)-2003 की धारा-6 में की गयी व्यवस्था के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से तम्बाकू उत्पाद के विक्रय एवं किसी शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि में भीतर किसी स्थान पर सिगरेट या किसी अन्य तम्बाकू उत्पाद के विक्रय पर रोक लगायी जाय।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जनपद में पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए अपर मुख्य सचिव, गृह-अनुभाग (पुलिस)15, उत्तर प्रदेश शासन के उक्त पत्र दिनांक 02 मार्च, 2022 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करवाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय



निदेशक (स्वास्थ्य)

तददिनांक

पत्रांक :-राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2021-22/

प्रतिलिपि निम्नलिखित ई-मेल के माध्यम से सादर सूचनार्थ :-

- 1-अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, उ0प्र0।
- 2-अपर मुख्य सचिव, गृह(पुलिस), उत्तर प्रदेश शासन।
- 3-मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4-अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, षष्टम तल टावर-2, पुलिस भवन, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- 5-पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर नगर/वाराणसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही का अनुश्रवण अपने स्तर से करने का कष्ट करें।
- 6-समस्त जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि आप उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 7-स्टाफ ऑफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8-समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि आप सम्बन्धित जनपद में उक्त कार्यक्रम का सफल संचालन करवाने का कष्ट करें।

संयुक्त निदेशक (स्वास्थ्य)